न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 89 / 2015 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मुलसिंह पुत्र मांगुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।
2. जयसिंह पुत्र मांगुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.अचलाराम पुत्र राणाराम कौम जाट

2.मोहनलाल पुत्र मोतीराम कौम माली

3.गंगाराम पुत्र भोमाराम कौम जाट साकिन बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व आवेदन संख्या 303 / 2008 बअनवान अचलाराम वगैरह बनाम मुलसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.07.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सम्पतराज बोथरा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 07.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कि मौजा बाड़मेर आगोर में खेत खसरा संख्या 1126 रकबा 57.19 बीघा भूमि में वादीगण के खातेदारी हिस्से को विभाजित कर अलग किया जावे तथा वादीगण के विधिक कब्जे में प्रतिवादीगण हस्तक्षेप न करे इस आशय का उतरदाता संख्या 01 से 03 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे मूल वाद मय एक आवेदन अंतगर्त धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलकर्ता / विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना—पत्र का जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण / उतरदाता संख्या 01 व 02 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण का वाद पत्र मयाद बाहर है, वादीगण द्वारा कब्जे के अनुतोष की मांग किये बिना प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2015 को ग्राम पंचायत आगोर में लगे राजस्व लोक अदालत के कैम्प में उक्त पत्रावली में पक्षकारों की उपस्थिति के बिना ही प्रकरण में एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जिसके तहत दिनांक 17.12.2008 के निर्णय को कन्फर्म किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत के आधारों पर वादीगण का वाद कानूनन सन्धार्य भी नहीं था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा पत्रावली पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलकर्ता/विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र का जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण/उतरदाता संख्या 01 व 02 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण का वाद पत्र मयाद बाहर है, वादीगण द्वारा कब्जे के अनुतोष की मांग किये बिना प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2015 को ग्राम पंचायत आगोर में लगे राजस्व लोक अदालत के कैम्प में उक्त पत्रावली में पक्षकारों की उपस्थिति के बिना ही प्रकरण में एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जिसके तहत दिनांक 17.12.2008 के निर्णय को कन्फर्म किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत के आधारों पर वादीगण का वाद कानूनन सन्धार्य भी नहीं था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि से भी अधिक भूमि इकरारनामों के आधार पर अवैध रूप से बेची जा रही है। वे उनकी खातेदारी भूमि से भी अधिक भूमि का बैचान कर चुके है इसलिए उन्हें हमारी संयुक्त खातेदारी वाली हक–हिस्से की भूमि में दखलंदाजी नहीं देने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का जो अंतिम आदेश दिया था उसे कंन्फर्म किया गया है। यह आदेश विधि सम्मत है। अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। <u>अपीलाधीन आदेश लोक अदालत कैंप में उभयपक्ष की अनुपस्थिति में पारित किया गया है</u> जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2008 को जारी एकपक्षीय अंततिम आदेश को कन्फर्म किया गया है। इस अवधि में पत्रावली पर उभयपक्ष की साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज भी रेकर्ड पर आ चुके थे इसलिए उभयपक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना लाजमी था। अपीलाधीन आदेश विधि की मंशानुसार नहीं होने से खारिज योग्य ठहरता है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व आवेदन संख्या 303/2008 बअनवान अचलाराम वगैरह बनाम मुलसिंह वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2015 निरस्त कर मामला पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित करे।

7/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner